

प्ररूप	आ.क.वि- 7	भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139(4क) या धारा 139(4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखिए)				निर्धारण वर्ष							
						2	0	2	5	-	2	6	
भाग क साधारण													
व्यक्तिगत सूचना	(क1) नाम (सृजन/स्थापना/निगमन/निर्माण विलेख में उल्लिखित)					(क2) स्थायी लेखा संख्याक							
	(क4) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं.					(क5) परिसर/भवन/ग्राम का नाम					(क3) विरचना/निगमन की तारीख (ता.मा.व)		
	(क6) सड़क/मार्ग/डाकघर					(क7) क्षेत्र /अवस्थान					/ /		
	(क8) नगर/शहर/जिला					(क9) राज्य		(क10) पिनकोड/ जिप कोड			(क11) प्रास्थिति (अनुदेश देखें)		(क12) उपप्रास्थिति (अनुदेश देखें)
(क13) कार्यालय का दूरभाष संख्या एस.टी.डी कोड सहित / मोबाईल संख्या					(क14) मोबाईल सं.2					(क15) ई मेल पता -1			
(क16) ई मेल पता -2					(क17)(i) धारा □ 139(4क) □ 139(4ख) □ 139(4ग) □ 139(4घ) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी								
(ii) धारा जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है, कृपया वर्णन करें (ड्रापडाउन दिया जाए)													
(क18) क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें: आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे													
क्र. सं.		परियोजना/संस्था का नाम (अनुदेश देखें)			क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश देखें)			वर्गीकरण (अनुदेश देखें)					
1													
2													
3													
4													
(क19) आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों) (जब नियमित रजिस्ट्रीकरण/अनुमोदन स्वीकृत हो चुका है तो अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन का विवरण अनिवार्य नहीं है)													
क्र. सं.		धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत/ अनंतिम रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित/ अधिसूचित किया गया है			रजिस्ट्रीकरण/ अनंतिम रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख		अनुमोदन/अधिसूचना/ यूनिक रजिस्ट्रीकरण सं. (यू.आर.एन)		अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी		तारीख जिससे रजिस्ट्रीकरण /अनंतिम रजिस्ट्रीकरण / अनुमोदन प्रभावी है		
1		(ड्रापडाउन उपलब्ध कराया जाएगा)											
2													

	घ	पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय में लेखकों, संस्थापकों, न्यासी, प्रबंधकों के संबंधियों के नाम तथा पर्याप्त योगदान कर्ताओं एवं जहां ऐसे लेखक, संस्थापक, न्यासी, प्रबंधक या पर्याप्त योगदान कर्ताओं अविभक्त कुटुंब है, वो उनके परिवार के सदस्यों और संबंधियों के नाम सभी विवरण			
		क्रम सं.	नाम व पता	पैन	आधार सं.

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची आई		धारा 11(2) के अर्थात्गत या धारा 35(1) के साथ पठित धारा 10(23ग)/10(21)/10(23) के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् रकमों के ब्यौरे												
संचयन कावर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	शेष	अन्य पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष	संचयन पूर्ववर्ती वर्षों के अलावा गत वर्षों के दौरान परोपकारी धार्मिक प्रयोजनार्थ अनुप्रयुक्त राशि	अनुप्रयुक्त राशि प्रयोजनार्थ के अलावा जिसके लिए ऐसा संचयन किया गया (यदि लागू हो)	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv)/ (v)/ (vi)/ (vिक) के अधीन अनुमोदित किसी न्यास या संस्थान को भुगतान या दी गई राशि	आवेदन हेतु उपलब्ध शेष राशि	धारा 11 से 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति में निवेशित या जमा राशि	धारा 11 से 11(5) के बाहर (यदि प्रयोज्य हो) में विनिर्दिष्ट रीति के अलावा निवेशित या जमा राशि	संचयन की अवधि में रकम जिसका उपयोग नहीं हुआ (यदि उपलब्ध हो)	(रकम जिसे धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थ के भीतर आय समझा जाएगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2-4)	(6)	(7) = (5-6)	(8)	(9)	(10)	(11) = 7-8-9-10	(12)	(13)	(14)	(15) = 9+10+13+14
2019-20														
2020-21														
2021-22														
2022-23														
2023-24														
2024-25														
योग														

अनुसूची आई.ए		धारा 11(3) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में कर संचित आय का विवरण				
वि.व.	नि.व.	निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची आई के स्तंभ 6 में संदर्भित राशि पर कर लगाया गया था (रू. अंकों में)				
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
संचयन वर्ष (वित्त वर्ष)		(क)	(ख)	(घ)	(ड)	(क+ख+ग+घ)
2019-20						
2020-21						

2021-22								
2022-23								
योग								
अनुसूची घ धारा 11 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के अधीन आय के समझे गए अनुप्रयोग								
वर्ष जिसमें आय अनुप्रयुक्त किया जाना समझा जाए	पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अनुप्रयुक्त की जाने वाली समझी गई रकम	समझे जाने वाले अनुप्रयोग का कारण आवेदन के कारण (क) वह आय जो उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई है (ख) कोई अन्य कारण	दावा किए गए समझे गए अनुप्रयोग में, अनुप्रयुक्त की जाने वाली रकम	किसी पूर्ववर्ती वर्ष की रकम जिसपर कर लगाया है	दावा किए गए समझे गए अनुप्रयोग में से, चालू निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त की जाने वाली	पूर्ववर्ती वर्षों में दावाकृत समझे गए अनुप्रयोग की रकम जिसे चालू निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त किया गया	धारा 11 (1ख) के अधीन वह रकम जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त न सकी तथा आय समझी गई	समझे गए अनुप्रयोग के कारण पूर्ववर्ती वर्षों में दावाकृत छूट होने के कारण समझी गई आयकी शेष रकम और जिसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगे अनुप्रयुक्त किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-7)	(9)=(4-6)
ड्रापडाउन दें		ड्रापडाउन दें						
2024-25		ड्रापडाउन दें						
योग								

अनुसूची डी.ए		धारा 11 (1ख) के अनुसार पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कर लगाई संचित आय का विवरण					
निर्धारण वर्ष		निर्धारण वर्ष जिसमें अनुसूची घ के स्तंभ 5 में निर्दिष्ट रकम पर कर लगाया गया था (रू. अंकों में)					
संचयन वर्ष (वित्तीय वर्ष)	निर्धारण वर्ष 2021-22 से पूर्व	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल	
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च) (क+ख+ग+घ+ड)	
वित्तीय वर्ष 2019-20 से पूर्व							
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							
कुल							

अ ऋण और उधार के ब्यौरे								
2	01.04.2024 को प्रारंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान उद्देश्यों के प्रति अनुप्रयोग के लिए लिया गया ऋण और उधार	वर्ष के दौरान न्यास या संस्था के वस्तुओं के लिए अनुप्रयुक्त	वर्ष के दौरान ऋण या उधार के प्रति संदाय की राशि (जो पहले प्रयुक्त किया गया था तथा अनुप्रयुक्त के अनुसार अदावाकृत) जहां किसी ऋण या उधार से अनुप्रयोग 01.04.2021 को या उसके पश्चात किया गया है	वित्त वर्ष जिसमें(4) पहले अनुप्रयुक्त है	वर्ष के दौरान ऋण या उधार का कुल प्रति संदाय	31.03.2025 को समाप्ति बकाया (7) (1+2-6=7)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
आ धारा 11(5) के अधीन 31.03.2025 को निवेशित/जमा कोष के ब्यौरे								
विनिधान निधियों का ब्यौरा	क्र.सं.	विनिधान में से		धारा 11(5) के अनुसार विनिधान का ढंग		विनिधान की रकम		
	(1)	(2)		(3)		(4)		
	i	धारा 80छ(2)(ख) के अधीन 01.04.2020 को या उसके बाद अधिसूचित स्थानों की मरम्मत या नवीनीकरण करने के लिए प्राप्त दान के रूप में कार्पस		डापडाउन दें (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				
	ii	01.04.2021 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त (i) के अलावा प्राप्त कोष						
	iii	(i) एवं (ii) के अलावा						
	iv	योग						
इ उस (समुत्थानो) में, जिनमें धारा 13(3) धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान								
ई पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान	क्र. सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कंपनी है? (जो प्रयुक्त हो उसका निशान लगाएं <input checked="" type="checkbox"/>)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्व वर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	ii		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	iii		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	iv		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	v		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
	योग							
ई पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान								
ई पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान	क्र. सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है? (जो लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	i		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
	ii		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
	iii		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
	iv		<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं					
v	योग							

उ ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तन नहीं किया गया है					
क्र. सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
iii					
iv	योग				

भाग क-बीएस		31 मार्च, 2025 को समेकित संतुलन पत्र		
निधियों का स्त्रोत	क	कोष स्त्रोत		
	1	कोष स्वामित्व		
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन को या उसके पश्चात् 01.04.2020 अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	1क	
		ख 01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	1ख	
		ग (क) एवं (ख)के अलावा प्राप्त कोष	1ग	
		घ धारा 10 या धारा 11(2) के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के अधीन संचित आय	1घ	
		ड डीमड आय की शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों में छूट का दावा डीमड आवेदन के कारण तथा अनिवार्य आवेदन के कारण वित्त वर्ष 2025-26 से आगे आवेदित	1ड	
		च कोई अन्य आरक्षित (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		
		i प्रकृति निर्दिष्ट करें	i	
		ii प्रकृति निर्दिष्ट करें	i	
		iii कुल (क + कii.)	1चiii	
		छ कुल कोष (क + ख + ग + घ + ड + च)	1छ	
	2	ऋण व उधार		
	क	सुरक्षित ऋण	क	
		असुरक्षित ऋण (जमा सहित)	ख	
		कुल ऋण कोष (क + ख)	2ग	
	3	अग्रिम	3	
	4	कोष स्त्रोत (1च + 2ग + 3)	4	
	निधियों का स्त्रोत	ख	निधियों का अनुप्रयोग	
		1	अचल आस्तियां	
क		सकल अचल आस्तियां	1क	
		मूल्यहास	1ख	
		शुद्ध अचल आस्तियां (1क - 1ख)	1ग	
2		निवेश	2	
3		वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम		
क		वर्तमान आस्तियां		
		i माल	i	
		ii विविध देनदार	ii	
		iii नकद व बैंक बैलेंस		
		क बैंक में बैलेंस	iii क	
		ख पर्याप्त नकदी	iii ख	
		ग अन्य	iii ग	
		घ कुल नकद तथा नकद समकक्ष (iii क + iii ख + iii ग)	iii घ	
		iv अन्य वर्तमान आस्तियां	iv	
		v कुल अन्य आस्तियां (i + ii + iii घ + iv)	क v	
ख		ऋण व अग्रिम	ख	
ग		कुल (क v + ख)	ग	

	घ	वर्तमान देनदारी तथा प्रावधान						
		i	वर्तमान देनदारी			घiii		
			क				विविध लेनदार	क
			ख				अन्य लेनदार	ख
			ग				कुल (क + ख)	ग
		ii	प्रावधान			ii		
iii	कुल (ग + ii)							
	ड	शुद्ध वर्तमान आस्तियां (4ग - 4घiii)		3ड				
	4	संचित शेष/कोई अन्य रिजर्व (घाटा)		4				
	5	कुल निधि या अनुप्रयोग (1+2+3 ड+4)		5				
	6	5 के अलावा, धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में किया गया निवेश		6				
	7	5 के अलावा, धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति के अलावा किया गया निवेश		7				

अनुसूची द		कोष के अनुसूची जे तथा बैलेंस का मिलान	
विवरण	01.04.2020 को या उसे पश्चात् धारा 80छ(2)(ख) में अधिसूचित स्थानों के नवीकरण अथवा मरम्मत हेतु प्राप्त संदान के लावा कोष	01.04.2021 को या उसके पश्चात् अन्य प्राप्त कोष	(1) तथा (2) के अलावा कोष
	(1)	(2)	(3)
(क) अनुसूची जे के अनुसार 31.03.2025 को समापन शेष			
(ख) अंतर के कारण (+/-) (खi+खii+खiii)			
i) अचल परिसंपत्ति का क्रय			
ii) मूल्य अवक्षरण			
iii) कोई अन्य कारण (कृपया लिखें)			
(ग) बैलेंस शीट (क + ख) के अनुसार 31.03.2025 को समापन शेष			

अनुसूची ठक		राजनीतिक पार्टी	
1	अ) क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29क के अधीन पंजीकृत है?	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
	क) यदि हां, कृपया पंजीकरण सं. दर्ज करें।		
	ख) पंजीकरण तारीख/...../.....	
	आ) क्या भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
	क) यदि हां, तो मान्यता प्राप्ति की तिथि		
2	क्या लेखा बहियां रखी गई थी? जैसा लागू हो छ का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
3	क्या खातों की लेखा-परीक्षा की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें छ)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
	यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें :-		
	क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	ख) लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम		
	ग) लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या		
	घ) लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)		
	ड) स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.		
	च) लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)		
	छ) लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख		
4	क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई है? (जो लागू हो उसे चिह्नित करें छ)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
	यदि हां, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि (तिथि/माह/वर्ष)/...../.....	

5	क	क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	ख	यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
6		क्या पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> करें)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
7	कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:			
	क	वि.व. के दौरान पार्टी द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक कुल योगदान (ख + घ)	7क	
	ख	वि.व. के दौरान 20,000 रुपये तक प्राप्त सभी स्वैच्छिक योगदान का कुल मूल्य	7ख	
	गii	वि.व. के दौरान नकद में 2000 रुपये तक प्राप्त सभी स्वैच्छिक योगदान का कुल मूल्य	7 ग i	
	गiii	वि.व. के दौरान नकद के अलावा अन्य मोड़ में 2000 रुपये तक प्राप्त सभी स्वैच्छिक योगदान का कुल मूल्य	7 ग ii	
	घ	वि.व. के दौरान समस्त स्वैच्छिक अंशदान जो 20,000रू. से अधिक प्राप्त हुआ का कुल मूल्य	7घ	

अनुसूची ई टी निर्वाचक न्यास

निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं?	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे? जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
		यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	___/___/___		
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है? (जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं	
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे			
		i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष	i	
		ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii	
		iii	योग (i+ii)	iii	
		iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv	
		v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v	
		vi	योग (iv+v)	vi	
		Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है) (नियम 17गक के अनुसार)	Vii	
	viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष (iii)-(vi)	Viii		

अनुसूची वी सी		स्वैच्छिक अभिदाय (आई.टी.आर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)			
अ	घरेलू अंशदान (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)				
	i	समग्र संदान	आं		
	क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आंक		
		ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आख	
	ii	समग्र संदान के अतिरिक्त	आii		
		(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान		
		(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान		
		(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान		
		(घ)	अन्य संदान		
		(ङ)	कुल	आiiङ	
	iii	घरेलू स्वैच्छिक अभिदाय (आं + आiiङ)	आiii		
	आ	विदेशी अभिदाय (धारा 115खखग के तहत कर योग्य अज्ञात संदान के अलावा)			
		i	समग्र निधि संदान (आंक + आख)	आ i	
		क	अनुसूची की धारा 80छ(2)(ख) के अधीन अधिसूचित के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए प्राप्त दान में से कॉर्पस	आंक	
			ख	उपर्युक्त के अलावा कॉर्पस	आख
ii		समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आ ii		
iii		विदेशी अभिदाय (आ i + आii)	आiii		
iv		प्रयोजन निर्दिष्ट करें जिसके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया	आ iv		
इ	कुल अभिदाय (आiii + आiii)	इ			
ई	अज्ञात दान, धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य [निर्धारिती पर लागू जो धारा 11 या 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग) (vi)क) या 10(23ग)(iii)कघ) या 10(23ग)(iii)कड़) के अधीन छूट का दावा कर रहा है]				
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i		
	ii	क्रम सं. ग + घ i पर प्राप्त कुल संदान का 5% या 1,00,000 जो भी उच्चतम हो	ii		
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i - ii) की दर से कराधेय अनाम अभिदाय	iii	{नकारात्मक होने पर शून्य लिया जाएगा}	
उ	(अनुसूची वी सी की क्रम सं. ईiii से भिन्न अनाम संदान(अनुसूची वी सी का ईi - ईiii)	उ			

अनुसूची एआई		ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/ 10(23ग) (v)/ 10(23ग) (vi)/ 10(23ग) (vi)क)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]	
आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2
	3	किराया	3
	4	कमीशन	4
	5	लाभांश आय	5
	6	ब्याज आय	6
	7	कृषि आय	7
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	8
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	
	प्रकृति	रकम	

	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)	क		
	ख		ख		
	ग		ग		
	घ		घ		
	ड	कुल (9क +9ख +9ग+9घ)	ड		9ड
10		कुल (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9)			10

अनुसूची-ए		न्यास/ संस्थानों के स्थिर वस्तुओं पर लागू राशि समस्त स्त्रोतों से पूर्व वर्ष के दौरान तालिका इ1 से इ7 में संदर्भित [निर्धारिती द्वारा धारा 11 या 12 या धारा 10(23ग)(iv) या 10(23ग)(v) या 10(23ग)(vi) या 10(23ग)(viक) के अधीन छूट का दावा के लिए दाखिल किया जाएगा]			
अ	ट्रस्ट/संस्थान के विवरणित उद्देश्यों के लिए आवेदन	राजस्व	पूंजी	कुल	
1	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान (किए गए दान के 100% की प्रविष्टी यहां करना आवश्यक है)	1			
1क	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस से भिन्न संस्थान या न्यास को दान का 85%	1क			
2	धार्मिक	2			
3	गरिबों के लिए अनुतोष	3			
4	शिक्षा	4			
5	योग	5			
6	चिकित्सा अनुतोष	6			
7	पर्यावरण संरक्षण	7			
8	समारकों आदि का संरक्षण	8			
9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता	9			
10	आवेदन जिसे उपर्युक्त 1 से 9 के तहत विशिष्ट रूप से नहीं पहचाना जा सकता	10			
11	धारा 11(1क) के तहत नई परिसंपत्ति के लिए छूट या दावा की लागत	11			
12	कुल (अ1क से अ11)	अ12			
आ	ग2 से ग7 (ख1 + ख2 + ख3 + ख4 + ख5 + ख6 + ख7 + ख8) पर निधि के स्त्रोत के अतिरिक्त आवेदन के अलावा व्यय आवेदन अनुमेय नहीं टिप्पण : क्रम सं. ख में दर्ज राशि क्रम सं. क से बाहर होनी चाहिए	आ			
1	कॉर्पस के प्रति धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में	1			
2	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कापर्स के प्रति अलावा संचित आय से बाहर दान के मामले में	2			
3	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित कॉर्पस के अलावा संस्थान या न्यास को दान के मामले में जिनके पास वही वस्तुएं नहीं है।	3			
4	धारा 12कख के अधीन पंजीकृत या धारा 10(23ग)(iv)/ (v)/ (vi)/ (viक) के अधीन अनुमोदित न्यास या संस्थान के अलावा किसी व्यक्ति को दान	4			
5	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक क अनुसार प्राप्त किया गया	5			
6	भारत के बाहर आवेदन जिसके लिए धारा 11(1)(ग) के परंतुक के अनुसार अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है।	6			
7	न्यास या संस्थान की वस्तुओं के परे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त	7			
8	किसी अन्य अस्वीकार्य अनुप्रयोग के लिए	8			

इ	पंक्ति क में पूंजी आवेदन तथा राजस्व जुटाने हेतु निधि का स्रोत (क्रम सं. अ12 में क्रम सं. इ2 से इ7 में विस्तारित रकम)	इ			
	1 पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय (कॉर्पस को छोड़कर)	1			
	2 पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक या धारा 11(2) के अधीन संचित आय	2			
	3 किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन अनुप्रयुक्त आय(केवल तभी लागू जब धारा 11 तथा 12 के अधीन छूट का दावा किया हो)	3			
	4 15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	4			
	5 कॉर्पस	5			
	6 उधार ली गई निधि	6			
	7 कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	7			
ई	पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि [अ 12-आ-इ 2-इ 3-इ 4-इ 5-इ 6-इ 7]	ई			
उ	'ई' के बाहर पूर्व वर्ष के दौरान रकम जो वास्तव में उपयोजित नहीं की गई(यदि यह क्रम सं. क12 में सम्मिलित है तो)	उ			
ऊ	राशि जो वास्तव में गत वर्ष के दौरान भुगतान की गई जो अन्य पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित की गई थी किंतु पहले गत वर्ष में आय अनुप्रयोग के अनुसार दावा नहीं की गई	ऊ			
ए	आवेदन के रूप में स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि (ए = ई - उ + ऊ)	ए			

अनुसूची आई.ई-1	आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(23ककक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(46क), धारा 10(46ख), धारा 10(47) के अधीन (छूटे गणनीयता या आय शर्तों के शीर्ष के अधीन नहीं होगी।)		
1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1	
2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2	
3	संचित आय	3	

अनुसूची आई.ई-2	आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू) (जहां आय के केवल कतिपय शीर्ष कराधेय और नीचे पंक्ति 4 में रिपोर्ट की गई अन्य प्राप्तियां छूट प्राप्त है)		
अ	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां(पंक्ति ख के अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले कराधेय शीर्षों के अधीन आने वाली प्राप्तियों के सिवाय)	1	
	2 संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2	
	3 संचित आय	3	
आ	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्निकित) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	क गृह संपत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची एच.पी भरें)	1	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	ख कारबार या वृत्ति से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची बी.पी भरें)	1	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	ग पूंजीलाभ से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची सी.जी भरें)	1	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	घ अन्य स्रोत से आय (यदि हां, कृपया अनुसूची ओ.एस भरें)	1	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

अनुसूची आई.ई-3	आय एवं व्यय विवरण [निर्धारितियों के लिए लागू जो धारा 10(23ग)(iii)कख या 10(23ग)(iii)कग] के अधीन छूट का दावा कर रहा है) (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता दर्ज करें)(छूट, स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक, सरकारी अनुदानों के अधधीन होगी) :		
1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	1	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	2	
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	3	

सूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ									
क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)										
1											
	विक्रय / अर्जन की तारीख	दिन /मास /वर्ष	बिक्री/अंतरण की तारीख	दिन /मास /वर्ष							
क	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			का						
	ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारीके अनुसार संपत्ति का मूल्य			क ii						
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [यदि (कii) 1.10 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ें को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) के रूप में लें]			क iii						
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ										
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i						
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii						
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			ख iii						
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv						
ग	तुलन (क iii - ख iv)				1 ग						
घ	धारा 54 छ /54 छ क के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)										
ड	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)									क 1 ड	
च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)										
	क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैर/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता, देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य			
	टिप्पण ► यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैर/ देना अनिवार्य है, या दस्तावेजों में खरीदार द्वारा उद्धृत किया जाता है। एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें										
2	स्लम्प बिक्री से										
क	i	नियम 11प.क.ड (2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2का						
	ii	नियम 11प.क.ड (3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2काii						
	iii	प्रतिफल का पूरा मूल्य (क i या क ii का अधिकतम)			2काiii						
ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख	(प्ररूप 3गड.क का 6(ड.))					
ग	स्लम्प की बिक्री से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2काiii - 2ख)									क 2 ग	
3	ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ)उन्मुख ईकटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परन्तुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं है)					23 जुलाई 2024 से पहले स्थानांतरण कहां हुआ था	जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद हुआ हो (ii)				
क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3 क						
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ										
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i						
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii						
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii						
	iv	योग (i + ii + iii)			ख iv						
ग	शेष (3 क - ख iv)				3 ग						

		धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ			
	ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ)	क 3 ड	क3डi	क3डii	
	4	अनिवासियों के लिए जो एफ आ ईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश के विक्रय से(जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)				
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी		क 4 क		
		(i) जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ हो		क 4 का		
		(ii) जहां स्थानांतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद हुआ हो		क 4 काii		
	ख	क्रम संख्या 4ए में शामिल न किए गए शेयरों की बिक्री या डिबेंचर की बिक्री से एसटीसीजी		क 4 ख		
	5	अनिवासियों की दशा में -धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)				
	क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-				
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i	क		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग	ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	कii			
		iii कुल (iग + ii)	क iii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
		iv योग (i + ii + iii)	ख iv			
	ग	शेष (5 क iii - ख iv)	5ग			
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि - उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ			
	ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ)				क 5 ड
	6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से				
	क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-				

				क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क			
				ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख			
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग			
				ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii			
				iii	कुल (ग + ii)	क iii			
				ख धारा 48 के अधीन कटौतियाँ					
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
				iv	योग (i + ii + iii)	ख iv			
				ग शेष (6 क iii - खiv)					6 ग
				घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि -उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/ अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस यूनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ			
				ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ङ			
				च	धारा 54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च			
				छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसीजी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6 च)			क 6U	
				7 अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					
				क	क्या नीचे दिए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएँ				
				क्र. सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित /निर्मित की गई है	पूर्व वर्ष पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x)में उपयोगमें नहीं लाई गई बची हुई राशि
				i	2021-22	54छ /54छक			
				ii	2022-23	54छ /54छक			
				iii	2023-24	54छ /54छक			
				ख	धारा 54 ख से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				

					धारा 54 ख /54 घ /54 छ /54 छक लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (Xi + Xii +Xiii + ख)					क7	
	8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8कi + क8कii + क8ख+क8ग)									क8
		क(i)	15%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8कi			
		क(ii)	20%की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8कii			
		ख	30% की दर से प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8ख			
		ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8ग			
	9	क 1 – क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जिस पर भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य धन का दावा नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है									
		क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है (हा /नहीं)	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
		क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर के दावे की कुल राशि								क9क
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम								क9ख
		क(क)	01 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद शेषों की पुनर्खरीद पर पूंजीगत हानि [अल्पकालिक पूंजी हानि @20% / 30% / लागू दर] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22)(च) के तहत संबंधित लाभांश आय की पेशकश की जाती है)								क(क)
	10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क 1 ड+ क 2 ग+ क 3 ड + क 4 क+ क 4ख+ क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क+ क(क))									क 10
	ख दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं)										
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से(प्रत्येक संपत्ति के ब्यौरे पृथक रूप से भरें)									
		विक्रय / अर्जन की तारीख		दिन /मास /वर्ष		बिक्री/अंतरण की तारीख		दिन /मास /वर्ष			
		क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य			कi				
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य			कii				
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (कi) का 1.10 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (कi) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]			कiii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ								
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत(केवल 23 जुलाई 2024 से पहले किए गए स्थानांतरणों के लिए लागू)			ख ii				
			iiख	सुधार की कुल लागत			खiiख				
				(क) सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			खiiख(क)				
				(ख)सुधार का वर्ष							

			i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
			ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
			iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
			iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
		ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)			ख 3 ग
	4		धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (इकाई के अतिरिक्त) या शून्य कूपन बॉंड की बिक्री से		जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ था (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो (ii)
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क		
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
		i	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत	ख i		
		ik	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था, केवल अतिरिक्त कर की गणना के प्रयोजन से लागू है जिसे 112(1) के परंतुक के अनुसार उपेक्षा किया जाएगा)	ख ik		
		ii	सूचीकरण के साथ सुधार की लागत	ख ii		
		iiक	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था, केवल अतिरिक्त कर की गणना के उद्देश्य के लिए लागू है जिसे 112(1) के परंतुक के अनुसार उपेक्षा किया जाएगा)	ख iiक		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	जहां कुल अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था, (खi + खii + खiii)	खiv		
			(जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद हुआ था, खiक + खiiक + खiii)			
		ivक	कुल (खiक + खiiक + खiii) (धारा 112(1) के परंतुक के अनुसार अधिकता की गणना के प्रयोजन के लिए) (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ हो, वहां लागू)	खivक		
		ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)	ख4ग		
			i. 23 जुलाई 2024 से पहले	ख4गi		
			ii. 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद	ख4गii		
		गक	उपरोक्त ख4 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था) (4क-खiv)	गक		
		घ	112(1)(क)(ii)(अ) या 112(1)(ग)(ii)(अ) के अनुसार कर [सूचीकरण के साथ 20% पर एलटीसीजी] [4गi*20%] (लागू जहां हस्तांतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था)	ख4घ		
		ड.	धारा 112(1) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर [सूचीकरण के बिना एलटीसीजी 10%] (जहां लागू अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था) [4गक*10%] (लागू जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले हुआ था)	ख4ड.		
		च	अतिरिक्त रकम जिसे धारा 112(1) [आ4(डघ) - आ4(ड.)] के प्रथम परंतुक के अनुसार उपेक्षा किया जाना आवश्यक है (जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ हो, वहां लागू)	ख4च		

5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है		ख5		
	i	23 जुलाई 2024 से पहले अंतरित ख5 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ		ख5 i	
	ii	23 जुलाई 2024 को या उसके बाद अंतरित ख5 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ		ख5 ii	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परन्तुक के अधीन विदेशी मूद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)				
	सूचीकरण लाभ के बिना गणना की गई एलटीसीजी जहां अंतरण था			ख6i	
	i. 23 जुलाई 2024 से पहले- सूचीबद्ध डिबेंचर			ख6ii	
	ii. 23 जुलाई 2024 से पहले- सूचीबद्ध डिबेंचर के अतिरिक्त			ख6iii	
	iii. 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद (केवल गैर-सूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर)				
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तभ ख8 भरा जाएगा I) टिप्पण: क्रम संख्या (iv) के लिए, अंतरण की तारीख के आधार पर आय का विवरण आवश्यक नहीं है।		जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो (i)	जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो (ii)	
	क	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-			
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	i क		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
	iii	कुल (iग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv) (i) जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था [(7(i), 7(ii) और 7(iii) के लिए लागू) (ii) जहां अंतरण 23 जुलाई को या उसके बाद (7(i), 7(ii) और 7(iii) के लिए हुआ था (iii) धारा 115कघ में संदर्भित एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री से	ख7ग		
			ख7गi		
			ख7गii		
			ख7गiii		

	8	एफआईआई/एफपीआई (गैर-निवासियों) के लिए - किसी कंपनी में इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट या किसी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से, जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता है।		ख8		
	i	23 जुलाई 2024 से पहले हस्तांतरित ख8 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ		ख8i	क	
	ii	23 जुलाई 2024 को या उसके बाद अंतरित ख8 पर पूंजीगत आस्तियों की बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ		ख8ii	क	
	9	आस्तियों के विक्रय से जहाँ ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं		जहाँ अंतरण 23 जुलाई 2024 से पूर्व हुआ हो (i)	जहाँ अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात् हुआ हो (ii)	
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:			
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	क		
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50 गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य	क ii		
		iii	कुल (ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
		i	23 जुलाई 2024 से पहले अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत और 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना	ख i		
		ii	23 जुलाई 2024 से पहले अंतरण के लिए सूचीकरण के साथ सुधार की लागत और 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद अंतरण के लिए सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
ग	अतिशेष (क iii - खiv)		7 ग			
घ	धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54जक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		7 घ			
ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)		ख9ड.	ख9ड.i	ख9ड.ii	ख 9 ड
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि					

क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है										
□ हाँ □ नहीं □ लागू नहीं नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं										
क्रम संख्या	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	क्या परिसीमा/वापसी की तारीख 23 जुलाई 2024 से पहले थी				
			पूर्ववर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि						
i	2021-22	54घ /54छ /54छक								
ii	2022-23	54घ /54छ /54छक								
iii	2023-24	54घ /54छ /54छक								
ख क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (खi + खii)						ख				
i. जहां माना गया पूंजीगत लाभ 23 जुलाई 2024 से पहले उत्पन्न हुआ हो						खi				
ii. जहां माना गया पूंजीगत लाभ 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद उत्पन्न हुआ हो						खii				
कुल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ मानी जाने वाली राशि (Xi + Xii + Xiii + ख)						ख10				
i. जहां माना गया पूंजीगत लाभ 23 जुलाई 2024 से पहले उत्पन्न हुआ हो						ख10i				
ii. जहां माना गया पूंजीगत लाभ 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद उत्पन्न हुआ हो						ख10ii				
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1(i) + ख11क1(ii) + ख11क2(i) + ख11क2(ii) + ख11ख)					ख11				
	क1(i)	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास				ख11क1				
	क1(ii)	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में पास-थू आय/हानि, धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य				क1(ii)				
	क2(i)	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास				ख11क2				
	क2(ii)	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में पास-थू आय/हानि, 112क के अतिरिक्त अन्य धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य				ख11क2(ii)				
	ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थू आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य				ख 11ख				
12	एलटीसीजी की रकम जो ख1-ख11 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य दावा नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)									
	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है	क्रम संख्या	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी दावा की गई अप्रभार्य कर की कुल राशि									ख12क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य कर दावा की गई एलटीसीजी की कुल राशि									ख12ख

	ख(क)	01 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद शेरों की खरीद पर पूंजीगत हानि (गैर-निवासियों के लिए धारा 115कघ के अधीन आने वाले संव्यवहार के लिए दीर्घावधि @12.5% / 10%) (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब धारा 2(22)(च) के अधीन संबंधित लाभांश आय की पेशकश की जाती है)				
	13	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ड + ख 2ड + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9च + ख 10 + ख 11 - ख 12क + ख(क)) (यदि क्षति हो तो ख 13 को शून्य के रूप में लें)			ख 13	
	ग1	पूंजीगत अभिलाभ आय की राशि (नीचे दी गई तालिका ड के (11ii + 11iii + 11iv + 11v + 11vi + 11vii + 11viii + 11ix + 11x))			ग1	
	ग2	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. ख)			ग2	
	ग3	“पूंजीगत अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1 + ग2)			ग3	
	घ	पूंजीगत अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी				
	1	धारा 54घ / धारा 54डग/धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें				
		54 घ के अधीन किया गया कटौती का दावा				
		i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष	
		ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii		
		iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv		
			(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड	
			दिन/ मास/ वर्ष			
		v	दावाकृत कटौती की राशि	क v		
		धारा 54 ड ग के अधीन दावाकृत कटौती				
		i	मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष	
		ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)	ख ii		
		iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv		
		धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती				
		i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष	
		ii	नई आस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii		
		iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई आस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष	
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv		
			(ivक) निक्षेप की तारीख	(ivक) खाता सं	(ivक)आई एफ एस कोड	
			दिन/ मास/ वर्ष			
		v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v		

अनुसूची वी.डी.ए						
धारा 115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय टिप्पण: प्रत्येक अंतरण का ब्योरा भरा जाएगा जिसमे प्रत्येक स्थानांतरण अंतरित किया जाता हो						
क्रम सं.	अधिग्रहण की तिथि	अंतरण की तिथि	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगाया जाना है (अल्पकालिक/दीर्घकालिक)	अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) (क) धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया जाना है (ख) किसी अन्य मामले में पिछले स्वामी की लागत ।	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आय (हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 - स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्ति सम्मिलित करें						
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक कारबार आय की राशि)						(अनुसूची बी. पी की मद सं. क 3घ)
ख. कुल (स्तंभ 7 में पूंजीगतलाभ की समस्त सकारात्मक आय राशि)						(अनुसूची सी जी की मद सं. ग2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय		
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1
क	लाभांश, सकल (क+कii+क iii)		1क	
	i	(ii) और (iii) के अलावा लाभांश आय	कi	
	ii	धारा 2(22)(ड़) के अधीन लाभांश आय	कii	
	iii	धारा 2(22)(च) के अधीन लाभांश आय	कiii	
ख	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv)		1ख	
	i	बचत बैंक से	खi	
	ii	निक्षपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खii	
	iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii	
	iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv	
	v	अन्य	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग	
घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)		1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घi	
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii	
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii	
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति निर्दिष्ट करें)		1 ङ	
	क्रं सं.	प्रकृति	राशि	

	1	धारा 10 के खंडों के अधीन छूट की अस्वीकृति के कारण आय				
	2	धारा 56(2)(xii) के तहत प्रभार्य पिछले वर्ष के दौरान एक व्यवसाय ट्रस्ट से एक इकाई धारक द्वारा प्राप्त कोई निर्दिष्ट राशि				
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
	ड2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1ड	
2		विशेष दरों पर प्रभार्य आय(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)			2	
	क	लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय			2क	
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
	ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गा से गxiv का योग)			2ग	
	i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य अनिवासी या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गi			
	i	115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट, किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में यूनिट से किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गi			
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	गii			
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचनात्मक ऋण निधि	गiii			
	iv	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठग(1) @5% में निर्दिष्ट ब्याज	गiv			
	v	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग(1) @4% में निर्दिष्ट ब्याज	गv			
	vi	धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज	गvi			
	vii	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठकक में निर्दिष्ट ब्याज है	गvii			
	viii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में क्रय की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनिटों या अन्य पारस्परिक आय	गviii			
	ix	धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य सरकारी या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस से आय	गix			
	x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड के लाभांश पर आय	गx			

10 अन्य स्रोतों से आय के उद्भूत/प्राप्ति होने के बारे में सूचना							
क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरियों, क्रास वर्ड पहेली, दौड़, खेलों, जुए, बाजी आदि से जीत						
2	धारा 115खखज के अधीन आनलाइन गेम से जीत						
3क	क्रम सं. 1क(i) में निर्दिष्ट लाभांश आय						
3ख	क्र. सं. 1क(iii) में निर्दिष्ट लाभांश आय						
4	20% की दर पर धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अनुसार से भिन्न, धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन लाभांश आय (पीटीआई आय सहित)						
5	10% की दर पर धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन लाभांश आय (पीटीआई आय सहित)						
6	10% की दर पर धारा 115कग के अधीन लाभांश आय						
7	20% की दर पर धारा 115कघ(1)(i) के अधीन लाभांश आय (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) (पीटीआई आय सहित)						
8	डीटीएए दरों पर प्रभार्य लाभांश आय						

अनुसूची ओए		साधारण	
	क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)		
1	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	1	
2	शाखाओं की संख्या <input type="text"/>	2	
3	पूर्व वर्ष में लेखांकन की पद्धति <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> व्यापारिक <input type="checkbox"/> नकद	3	
4	क्या लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हाँ	4	

5	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्व वर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	5	
6	पूर्व वर्ष में लागू बंध स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति	6	
	क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)	6 क	
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें यदि बाजार दर है तो 3 लिखें)	6 ख	
	ग क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है (✓ का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	6 ग	
	घ धारा 145 क अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

अनुसूची - कारबार

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति				
	1	कर पूर्व लाभ आय और व्यय खाते के अनुसार कर से पूर्व लाभ (जैसा लागू हो)		1		
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2क			
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख			
	3	धारा 115खखज के तहत प्रभार्य अथवा आय के अन्य शीर्षों के तहत विचारणीय लाभ व हानि लेखा में जमा प्राप्तियां/आय	क	गृह संपत्ति	3क	(अनुसूची वी.डी.ए की मद सं. क)
			ख	पूजी अभिलाभ	3ख	
			ग	अन्य स्रोत	3ग	
			गii	लाभांश आय	3गii	
			गiii	लाभांश आय के अलावा	3गiii	
	घ	धारा 115खखज (के तहत अधिग्रहण की शुद्ध लागत, यदि कोई हो)	3घ			
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कड.	4			
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क			
			ख	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख	
			ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)		
i				5गi		
ii				5गii		
iii	कुल (गi + गii)	5गiii				
घ	कुल छूट प्राप्त आय	5घ				
6	बकाया बह (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 5 घ)			6		
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा।	क	स्वामित्व संपत्ति	7क		
		ख	पूजी अभिलाभ	7ख		
		ग	अन्य स्रोत	7ग		

		घ	धारा 115खखज (अधिग्रहण की कीमत के अलावा)	7घ		
8	कुल (7क + 7ख+ 7ग +7घ)			8		
9	समायोजित लाभ या हानि (6 + 8)				9	
10	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण				10	
11	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i	धारा 32 (1)(ii) के और धारा 32(1) (iiक) अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		11i		
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आयकर नियम का परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करे)		11ii		
	iii	कुल (11i + 11ii)			11iii	
12	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (9 +10 - 11iii)				12	
13	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			13		
14	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			14		
15	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			15		
16	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			16		
17	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं			17		
18	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज			18		
19	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			19		
20	धारा 32कग / 32कघ / 33कख / 33कखक / 35कखख / 32 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क के अधीन समझी गई आय			20		
21	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय			21		
22	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें			22		
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)			23		
24	कुल (13+14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23)				24	
25	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			25		
26	धारा 32कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम			26		
27	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (यदि धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 23 में जाएगी)			27		
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम			28		
29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			29		
30	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम			30		
31	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढत कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव			31		
32	कुल (25+26+27+28+29+30+31)				32	
33	आय(12+24-32)				33	
34	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -					
	i	धारा 44कड़		34i		

	35	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (33 + 34)	35		
	36	नियम 7क, 7ख, या 7ग 8लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख, या 7ग 8लागू नहीं है तो 35की वही रकम यथाप्रविष्ट करें)	अ36		
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना				
	37	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	37		
	38	धारा 28 से 44घख के अनुसार परिवर्धन	38		
	39	धारा 28 से 44घख के अनुसार कटौतियाँ	39		
	40	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (37 + 38 - 39)	ख40		
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
	41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	41		
	42	धारा 28 से 44घख के अनुसार जोड़	42		
	43	धारा 28 से धारा 44 घख के अनुसार कटौतियाँ ((i) धारा 35कघ, (ii) 32 या 35 जिसमें धारा 35 कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	43		
	44	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 - 43)	44		
	45	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ	45		
	46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 - 45)	इ46		
	47	धारा 35 कघ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)	इ47		
ई48	शीर्ष 'कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' के अधीन प्रभार्य आय (अ36+आ40+इ46+अ3घ)			ई48	
उ	चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तः शीर्ष मुजरा				
	क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह खाने को उसी दशा में भरे यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क36)	
	ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख40)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग46)		
	iv	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			
	v	मुजरा के बाद शेष हानि (i-iv)			

अनुसूची सी.वाई.एल.ए.		चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे					
अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्त्रोंतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
				कुल हानि (अनुसूची- गृह संपत्ति का 34)	कुल हानि (अनुसूची बी.पी. के मद ड का 2 v)	कुल हानि (अनुसूची - ओ.एस का 6)	5=(1-2-3-4)
				1	2	3	4
	i	समायोजित की जाने वाली हानि					
	i	गृह संपत्ति					

ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टाबाजी से आय					
iv	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
vक	15 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vख	20 प्रतिशत की दर से कर योग्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	30 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुप्रयुक्त दरों पर					
viii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
ixक	10 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
ixख	12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
x	20 प्रतिशत की दर से कर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ					
xii	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (घुड़दौड़ एवं लौटरी से जीत पर लाभ को छोड़कर)					
xiii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					

xiv	डीटीए के अनुसार भारत में अन्य स्रोतों से विशेष दर पर कर योग्य आय								
xv	मुजरा की गई कुल हानि								
xvi	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि								

अनुसूची पीटीआई

धारा 115प, 115पक और 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115प /115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवल आय/क्षति ⁹⁼⁷⁻⁸	ऐसी रकम पर स्तौत पर कर कटौती, यदि कोई हों		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
पास के माध्यम से आय	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति					
					ii	पूँजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि					
					का	धारा 111क					
					का	अन्य					
					i						
					ख	दीर्घकालिक अवधि					
					ख	धारा 112क					
					ख	112क से भिन्न धाराएं					
					ख						
					iii	अन्य स्तौत					
					क	लाभांश					
					ख	अन्य					
					iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
क	धारा के अधीन										
	पंक्तियां जोड़े										
2.					i	गृह संपत्ति					
					ii	पूँजी अभिलाभ					
					क	अल्पकालिक अवधि					
					का	धारा 111क					
					का	अन्य					
					i						
					ख	दीर्घकालिक अवधि					
ख	धारा 112क										

						खि i	112क से भिन्न धाराएं				
						iii	अन्य स्तोंत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा के अधीन				
							पंक्तियां जोड़े				
टिप्पण ▶		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिशित करें ।									

अनुसूची एसआई		विशेष दरों से प्रभार्य आय (कृपया अनुदेश देखें)				
क्र. सं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)	
1क	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शोयरो पर एस.टी.सी.जी)[जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले यथा लागू था।]	<input type="checkbox"/>	15			
1ख	111क (जहां एस.टी.टी संदत्त किया गया है वहां शोयरो पर एस.टी.सी.जी)[जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात यथा लागू था।]	<input type="checkbox"/>	20			
2	115कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30			
3क	112(1) का परंतुक (सूचीकरण के साथ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)[जहां अंतरण 23 जुलाई से पूर्व यथा लागू था और अनुसूची सीजी के क्रम सं ख4(च), यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए उसपर कर]	<input type="checkbox"/>	20(अनुसूची सीजी के ख4(च) समानीत, यदि कोई हो)			
3ख	112(1) (सूचीबद्ध प्रतिभूतियो/इकाईयों पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात यथा लागू था।]	<input type="checkbox"/>	12.5			
4क	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी या सूचीबद्ध डिबेंचर के सिवाय)[जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले लागू था]	<input type="checkbox"/>	10			
4ख	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी या सूचीबद्ध डिबेंचर के सिवाय)[जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले लागू था]) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात यथा लागू हो।]	<input type="checkbox"/>	12.5			
5क	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी) [जहां 23 जुलाई 2024 से पहले यथा लागू अंतरण हो।]	<input type="checkbox"/>	10			
5ख	115कख (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी)[जहां 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात यथा लागू अंतरण हो।]	<input type="checkbox"/>	12.5			
6क	115कग(बॉन्ड/जीडीआर पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले लागू हो।]	<input type="checkbox"/>	10			

6ख	115कग(बॉन्ड/जीडीआर पर अनिवासी के लिए एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात यथा लागू हो।]	<input type="checkbox"/>	12.5		
7	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10		
8क	112(अन्य पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले यथा लागू था।]	<input type="checkbox"/>	20		
8ख	112(अन्य पर एलटीसीजी) [जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात यथा लागू था।]	<input type="checkbox"/>	12.5		
9क	112क (कारबार न्यास की साधार शेररोन्मुख निधि/यूनितों के साधारण शेररो/ यूनितों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है)[जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 से पहले यथा लागू था।]	<input type="checkbox"/>	10		
9ख	112क (कारबार न्यास की साधार शेररोन्मुख निधि/यूनितों के साधारण शेररो/ यूनितों पर एल.टी.सी.जी, जिस पर एस.टी.टी संदत्त किया जाता है)[जहां अंतरण 23 जुलाई 2024 को या उसके पश्चात यथा लागू था।]	<input type="checkbox"/>	12.5		
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एसटीसीजी	<input type="checkbox"/>			
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एलटीसीजी	<input type="checkbox"/>			
12	धारा115कग (अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय)	<input type="checkbox"/>	10		
13	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर या बाण्डस के लाभांश पर आय	<input type="checkbox"/>	10		
14	115 खख (लाटरी, पहेली,दौड़ों, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30		
15	115खखज (आनलाइन गेम से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2कii)	
16	115खखज आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर				
	कारबार या वृत्ति से आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.पी का 3घ)	
	पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सी.जी का ग2)	
17	115 खखड़ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग, या 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60		
18	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन प्रदान किया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस के 2ग का भाग)	
19	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस के 2ड का भाग))	
20क	15% की दर पर प्रभार्य अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	<input type="checkbox"/>	15		
20ख	20% की दर पर प्रभार्य अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	<input type="checkbox"/>	20		
21	30 % की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृतिकी पासथ्रू आय	<input type="checkbox"/>	30		
22क	धारा 112क के अधीन 10% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	<input type="checkbox"/>	10		

22ख	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	□	12.5		
23	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासथ्रू आय	□	20		
24क	धारा 112क से भिन्न 10% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10		
24ख	धारा 112क से भिन्न 12.5% की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	12.5		
25	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासथ्रू आय	□			(अनुसूची ओएस का 2घ)
	योग				

अनुसूची 115नघ	धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय [अनुप्रयोज्य यदि छूट का दावा धारा 11 तथा 12 निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा 10(23 ग (iv))/ 10(23 ग (v))/ 10(23 ग (vi))/ 10(23 ग (vi)क)]			
1	निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य			1
2	घटाएं— निर्दिष्ट व्यक्ति का कुल दायित्व			2
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)			3
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफ.एम.वी	4i		
	(ii) 12कख या धारा 10(23ग) के दूसरे परंतुक के अधीन सृजन या स्थापन की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख/ अनंतिम पंजीकरण/अनुमोदन की तारीख तक की अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफ.एम.वी., यदि क्रमशः धारा 11 और धारा 12 या 10(23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi)कके अधीन फायदा उक्त अवधि के दौरान दावा नहीं किया गया है	4ii		
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफ.एम.वी	4iii		
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)		4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व			5
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5) के अनुसार अभिवृद्धि आय			6
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर			7
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज			8
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण			9
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज			10
11	आय और संदत्त ब्याज			11
12	संदाय/प्रत्यपर्णीय (10 - 11)			12
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम			
15	बीएसआर कोड			
16	चालान की क्रम संख्या			
17	जमा की गई रकम			

अनुसूची - खखझ		धारा 115खखझ के अधीन कतिपय संस्थाओं की निर्दिष्ट आय	
	विशिष्टियाँ		रकम
1	धारा 10(23ग) या धारा 11(3) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 में निर्दिष्ट समझी गई आय	1	< अनुसूची झ के स्तंभ 15 का कुल >
2	धारा 11(1ख) के अधीन आय	2	< अनुसूची घ के स्तंभ 8 का कुल >
3	धारा 10(23ग) के इक्कीसवें परंतुक के अधीन आय जिसे आय माना जाए जो कि धारा 13(1)(ग) के अनुसार कुल आय से निकाली जाए	3	
4	आय जो धारा 10(23ग) के धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उल्लंघन के कारण छूट प्राप्त नहीं है अथवा जो कि धारा 13(1)(घ) के अनुसार कुल आय से घटाई गई हो।	4	
5	11(1)(ग) के अनुसार कुल आय से नहीं घटाई गई आय	5	
6	संचित आय आय से 15 प्रतिशत आधिक्य से पृथक करके जब ऐसा संचयन इस अधिनियम के निर्दिष्ट उपबंधों के आनुज्ञेय नहीं हो	6	
7	कुल (कुल क्रम सं. 1 से 6)	7	

अनुसूची एफएसआई			भारत के बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)						
क्रं. सं.	देश का कोड (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रॉप डाउन)	कर सदायकर्ता की पहचान संख्या	क्रं. सं.	आय के शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)(ग) या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या धारा 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)	
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						
टिप्पण ▶			कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें						

अ 2	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/जमा सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
अ 3	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल आगम या निवेश का मोचन
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(i)												
	(ii)												
अ 4	31 दिसंबर, 2024 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
	(i)												
	(ii)												

पूर्ववर्ष के अंत में आबंटन लंबित रहते हुए साधारण शेयर आवेदन धनराशि के ब्यौरे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदित शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन की धनराशि	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गम कीमत			
शेयरधारकों के ब्यौरे जो पूर्ववर्ष के अंत में शेयर धारक नहीं हैं किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय शेयर धारक थे											
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम	अर्जन की तारीख	तारीख जिसको वह शेयरधारक नहीं रहता है	अस्तित्वहीन होने की रीति	अंतरण की दशा में शेयरधारक की स्थायी खाता संख्या

भाग- ख

भाग ख- कुल आय		तारीख 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण									
आय का विवरण		भाग ख1 - अनुप्रयोज्य यदि धारा 11 तथा 12 या धारा 10 (23ग)(iv)/ 10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/ 10(23ग)(vi)क के अधीन छूट का दावा किया गया है तथा जब भाग ख3 अनुप्रयोज्य नहीं हो									
		1	धारा 115खखग के अधीन स्वैच्छिक अभिदाय और अनाम संदान (कॉर्पस से भिन्न) [अनुसूची वी सी का (ग- का- खा+ड.)]							1	
		2	धारा 115 खखग के अधीन अनाम संदान से भिन्न कॉर्पस का भाग बन रहा स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची भाग ख - कुल आय भाग ख 1 के (क + ख)]							2	
		क	धारा 80छ (2)(ख) के अधीन अधिसूचित स्थानों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए प्राप्त कॉर्पस प्रतिनिधित्व दान [अनुसूची वी.सी का क+ खाक]				क				
		ख	उपर्युक्त से भिन्न कॉर्पस [अनुसूची वीसी का क+ खाक]				ख				
		3	उपरोक्त 1 में सम्मिलित अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान व्युत्पन्न धारा 11, धारा 12 और धारा 10 (23ग)(iv), 10(23ग)(v), 10(23ग)(vi) तथा 10(23ग)(vi)क में निर्दिष्ट कुल आय (अनुसूची ए आई का 10)							3	
		4	धारा 11(1)(ग) के अधीन छूट योग्य राशि							4	
		क	बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन संख्या				क				
		ख	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि				ख				
		5	अनुप्रयुक्त आय (1+3-4 (क1- अनुसूची क का क1क))							5	
6	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोगन :-										
i	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम (उधार निधि से अनुप्रयुक्त निकालकर, डीमड आवेदन, 15% इत्यादि तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं है। [अनुसूची क से क्रम सं. छ]							6i			
ii	गत वर्ष के दौरान ऋण का पुर्नभुगतान - [अनुसूची जे की सारणी क2 की क्रम सं. 4]							6ii			
iii	गत वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त रकम कॉर्पस निधि के निर्दिष्ट मोड में वापस निवेशित या जमा (न्यास या संस्था के वस्तुओं के लिए कोष अनुप्रयोग पर पहले अननुज्ञात) निवेशित और वापिस जमा, एक या अधिक प्ररूप में या धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट मोड में ऐसे कॉर्पस के लिए विशिष्ट रूप से, उस वर्ष को आय से ऐसे निवेश या जमा की सीमा तक [अनुसूची जे की सारणी एआई का क्रम सं. 4]							6iii			
iv	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूची घ के स्तंभ 2 में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुप्रयुक्त समझी गई रकम							6iv			
क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है				क						
ख	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)				ख						

	v	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (1+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित -(अनुसूची क का क1)]	6v	
	vi	उपर्युक्त v में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम-संचित या अलग हटा के, निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ -यदि धारा 11(2) और 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक की सभी शर्तें पूरी की जाती है। <एफ वाई 2024-25 के लिए अनुसूची आई का स्तम्भ 2>	6vi	
	क	यदि उपरोक्त (vi) लागू है, तो क्या प्ररूप संख्या 10 निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है		
	ख	यदि हा, तो प्ररूप संख्या 10 प्रस्तुत करने की तारीख (दिन / मास /वर्ष)		
	vii	कुल [6i + 6ii+6iii+6iii+ 6iv+6v+6vi]	6vii	
7	जोड़ें			
	i	धारा 115खखड़ के अधीन प्रभार्य आय < अनुसूची 115खखड़ के क्रम सं. 7 का कुल >	7i	
	ii	धारा 11 के अधीन आय के संबंध में छूट अनाम संदान होने के कारण उपलब्ध नहीं है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	7ii	
	iii	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	7iii	
	iv	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40(क)(िक) या 10(23ग) अ.सा.प 40(क)(िक)	7iv	
	v	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम अ.सा.प 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) अ.सा.प 40अ(3)/(3अ)	7v	
	vi	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	7vi	
	vii	धारा 80जी(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार	7vii	
	viii	कोई अन्य आय जिस पर आयकर अधिनियम के अधीन छूट अननुज्ञेय है	7viii	
	ix	कुल [7i + 7ii+7iii +7iii +7iv +7v + 7vi + 7vii+7viii]	7ix	
8		धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय	8	
9		धारा 11/10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vi) के अधीन छूट के पश्चात् सकल आय [(5-6vii)+ 7ix +8]	9	
10		उपर्युक्त मद सं 9 का भाग नहीं बनने वाली आय		
	i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची एचपी का 3) (यदि हानि शून्य भरे)	10i	
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की मद सं घ48 के अनुसार)	10ii	
	iii	शीर्ष पूंजी अभिलाभ के अधीन आय		
	क	अल्पकालिक	10iii	क
	काक	15%की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11ii)	का	
	काख	20 प्रतिशत की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 11iii)	काख	
	काii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11iv)	काii	
	काiii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 11v)	काiii	
	काiv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11vi)	काiv	
	कव	कुल अल्पकालिक (काक+काख+ काii + काiii +क iv) (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	कव	
	ख	दीर्घकालिक	10iii	ख
	खाक	10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11vii)	खा	

	खा	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का	खा ख
	ख	11Viii	
	खाii	20%की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 9vii)	खाii
	खाiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11x)	खाiii
	खाiv	कुल दीर्घकालिक (खाक+ खा ख+ खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	खाiv
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ राशि) (कv + खाiv) (यदि हानि हों शून्य भरें)	10iiiग
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	10iiiघ
	ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	10iiiङ
	iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	10iv
	v	कुल (10i + 10ii + 10iiiङ + 10iv)	10v
11	सकल आय [9+10]		11
12	चालू वर्ष में 10v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xv, 3xv and 4xv का)योग)		12
13	कुल आय[11-12]		13
14	ऐसी कुल आय जिसे 13 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई स्तंभ (i) का योग)		14
15	13 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी.सी का घiii)		15
16	धारा 115खखज के निर्दिष्ट प्रभार्य आय जिस पर 30% की दर से 13 में सम्मिलित कर लगाया जाना है (अनुसूची 115 खखज की क्रम सं 7)		16
17	कुल आय पर सामान्य दरों से कर लगाया जाएगा(13-14-15-16)		17

भाग ख 2- यदि धारा 13क/13ख तथा धारा 10(21), 10(23क), 10(23ककक), 10(23ख), 10(23ड.ग), 10(23ड.ड.), 10(29क), 10(23ग)(iii क ख), 10(23ग)(iii कग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड), 10(23घ), 10(23घक), 10(23चख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट का दावा किया गया है।			
1	धारा 10(21), 10(23ककक), 10(23ख), 10(23घ), 10(23घक), 10(23ड.ग), 10(23ड.घ), 10(23ड.ड.), 10(23चख) के10(29क) 10(46), 10(46क), 10(46ख), 10(47), [अनुसूचीआईई-1 का क्रम सं. 1]अधीन छूट योग्य राशि	1	
2	धारा 10(23क), 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23ग)(iiiकघ), 10(23ग)(iiiकड.), 10(24)के अधीन छूट योग्य राशि [अनुसूची आईई-2 का क्रम सं 1 (पंक्ति क के लिए) or { अनुसूची आईई-3 का क्रम सं 3 } या { अनुसूची आईई-4 का क्रम सं 3 }]	2	
3	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3), के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची I के स्तंभ 15 का योग]	3	
4	राजनैतिक दल के मामले में धारा 13क के अधीन छूट का दावे के साथ आय	4	
5	निर्वाचन ट्रस्ट के मामले में धारा 13ख के अधीन छूट के दावे के साथ आय (अनुसूची ई टी के मद सं. 6vii)	5	
6	वर्ष के दौरान प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय/धारा 13क और 13ख के लिए लागू]	6	
7	आय शीर्ष जो उपरोक्त का भाग नहीं है		
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एच पी का 3] (यदि हानि हो शून्य भरें)	7i
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ व अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. 48 के अनुसार]	7ii
	iii	पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय	
	क	अल्पकालिक (अनुसूची पूंजी अभिलाभ का ए5)	7iiiक
	क i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी के मद ई का 11ii)	क i
	क i	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड का 11(iii))	क i
	ख		ख

	क ii	30% की दर से अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11iv)	क ii		
	क iii	दीर्घकालिक प्रभार्य अनुप्रयुक्त दरों पर (अनुसूची सीजी के मद ई का 11v)	क iii		
	क iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11vi)	क iv		
	क v	कुल अल्पकालिक (क iक+ क iख + क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य भरें)	क v		
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची सीजी का बी 4) (यदि हानि हो शून्य भरें)	7iii ख		
	ख iक	10% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11vii)	ख i		
	ख iख	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 11Viii)	ख iख		
	ख ii	20%की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11ix)	ख ii		
	खiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ई का 11x)	खiii		
	ख iv	कुल दीर्घकालिक (ख iक + ख iख + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य भरें)	ख iv		
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (क v+ ख iv) (यदि हानि हो शून्य भरें)	7iiiग		
	घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूंजी अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग2)	7 घ		
	ङ	कुल पूंजी अभिलाभ (ग + घ)	7 ङ		
	iv	अन्य स्त्रोतों से आय [अनुसूची ओ एस की मद संख्या 9 के अनुसार]	7iv		
	v	कुल (7i + 7ii + 7iiiग + 7iv)	7v		
8		सकल आय [6+7v-4-5] +3	8		
9		7v के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली वर्तमान वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए की 2xv, 3xv और 4xv का योग)	9		
10		सकल कुल आय (8-9)	10		
11		आय जो 10 में शामिल है तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची एस आई के स्तंभ (i) का योग)	11		
12		दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय	12		
13		कुल आय (10-11+12) [लागू यदि (10-11) अधिकतम रकम जो कर प्रभार्य नहीं है	13		
14		अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय	14		

भाग ख3- अनुप्रयोज्य यदि कुल आय धारा 10(23ग) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के अधीन कर प्रभार्य		
1. जनरल के भाग क के क्रम सं. अ(26) यदि हां तो धारा 10 के खंड 23(ग) या धारा 13 की उपधारा से भिन्न पूर्व बाइसवें परंतुक के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करें।		
1	क्रम सं.7 से भिन्न पूर्व वर्ष के लिए कुल आय	रकम रू. में
2	निर्धारित की वस्तुओं के लिए भारत में उपगत कुल व्यय	रकम रू. में
3	अननुज्ञात किए जाने वाला व्यय	
	(i) ट्रस्ट या संस्था के नाम जमा कोष से व्यय, वित्तीय वर्ष के अंत पर तुरंत पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष सुसंगत निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है।	रकम रू. में
	(ii) किसी ऋण या उधार से व्यय	रकम रू. में

	(iii)	आस्ति के संबंध में अवक्षयण, जिसका अर्जन आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया, उसी वर्ष या अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में; तथा	रकम रू. में
	(iv)	किसी व्यक्ति को दान या योगदान के रूप में व्यय	रकम रू. में
	(v)	पूँजीगत व्यय	रकम रू. में
	(vi)	धारा 13 की उपधारा (10) या धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक), के साथ पठित धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(vii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 की उपधारा 3 के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक के स्पष्टीकरण या के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(viii)	धारा 13 की उपधारा (10) के स्पष्टीकरण या धारा 40 की उपधारा (3क) के साथ पठित, धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक स्पष्टीकरण के अधीन अननुज्ञात रकम	रकम रू. में
	(ix)	कोई अन्य अननुज्ञात	रकम रू. में
	(x)	कुल व्यय जिसे अननुज्ञात किया जाना है (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi) + (vii) + (viii) + (ix)	रकम रू. में
4	योग		
	(i)	धारा 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय <अनुसूची 115खखझ के क्रम सं. 7 का कुल>	रकम रू. में
	(ii)	धारा 11 के अधीन आय अनाम संदान के कारण जिसके संबंध में छूट उपलब्ध नहीं है। 11(अनुसूची वी.सी का घiii)	रकम रू. में
	(iii)	धारा 12(2) के अधीन प्रभार्य आय	रकम रू. में
	(iv)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 3क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन के मामले में स्पष्टीकरण 3ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(v)	धारा 80छ(2)(ख) के साथ पठित धारा 11(23ग) के स्पष्टीकरण 1क के खंड (क) या (ख) या (ग) के उल्लंघन की दशा में स्पष्टीकरण 1ख के अनुसार आय	रकम रू. में
	(vi)	कोई अन्य आय जिस पर आय-कर अधिनियम के अधीन छूट अनुज्ञेय नहीं है	रकम रू. में
	(vii)	कुल योग (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) + (vi)	रकम रू. में
5	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय		रकम रू. में
6	कुल राशि [(1-2+3x)+4vii+5]		रकम रू. में

7	उपर्युक्त में मद सं. 6 का आय भाग नहीं है		
	i	आवासीय संपत्ति से आय [अनुसूची एचपी का 3] (यदि हानि हो तो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ii	कारबार तथा वृत्ति का लाभ तथा अभिलाभ [अनुसूची बीपी के मद सं. घ48 के अनुसार]	रकम रू. में
	iii	पूँजीगत अभिलाभ शीर्ष के अधीन आय	
	क	अल्पकालिक	
	काक	@ 15% की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 11ii)	रकम रू. में
	काख	20 प्रतिशत की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड का 11(iii))	
	काii	@ 30% की दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 11 iv)	रकम रू. में
	काiii	अनुप्रयोज्य दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 11v)	रकम रू. में
	काiv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अल्पकालिक (अनुसूची सी.जी के मद ई का 11vi)	रकम रू. में
	कv	कुल अल्पकालिक (क iक+काख+ क ii + क iii + क iv) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ख	दीर्घकालिक	
	खाक	दीर्घकालिक @ 10% की दर से प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 11vii)	रकम रू. में
	खाख	12.5 प्रतिशत की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 11Viii)	

	खii	@ 20% की दर से दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 11ix)	रकम रू. में
	खiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सी.जी के मद ड. का 11x)	रकम रू. में
	खiv	कुल दीर्घकालिक (ख iक + खाख + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	ग	अल्पकालिक/ दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ राशि (क v + ख iv) (यदि हानि हो, शून्य दर्ज करें)	रकम रू. में
	घ	धारा 115खखज के अधीन @ 30% की दर से प्रभार्य पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)	रकम रू. में
	ड	कुल पूंजीगत अभिलाभ (ग + घ)	रकम रू. में
	iv	अन्य स्रोतों से आय [अनुसूची ओ.एस के मद सं. 9 के अनुसार]	रकम रू. में
	v	कुल (7i+7ii+7iiiड +7iv)	रकम रू. में
8		7v के विरुद्ध वर्तमान वर्ष की हानियों का मुजरा है (अनुसूची सी.वाई.एल.ए के 2xv, 3xv और 4xv का योग)	रकम रू. में
9		कुल आय (6+7-8)	रकम रू. में
10		आय जो 9 में सम्मिलित की गई तथा विशेष दरों पर कर प्रभार्य है (अनुसूची एस.आई के स्तंभ (i) का योग)	रकम रू. में
11		धारा 115खखग के अधीन @ 30% के दर से 9 में सम्मिलित अनाम संदान पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची वी.सी का घiii)	रकम रू. में
12		धारा 115खखझ के अधीन @ 30% की दर से 9 में शामिल आय पर कर लगाया जाना है। (अनुसूची 115खखझ की क्रम सं. 9)	रकम रू. में
13		धारा 10 के खंड (23ग) के बाइसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा(10) के अधीन कर प्रभार्य आय (9-10-11-12)	रकम रू. में

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर		
	क सामान्य दरों पर कर [क्र. सं. (17) भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्र. सं. (13-14) भाग-ख, कुल आय के भाग ख 2 के] या [क्र. सं. 13, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के]	1क	
	ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई के स्तंभ (ii) का योग)	1ख	
	ग @ 30%की दर से धारा 115खखग के अधीन अनाम संदान पर कर [क्र. सं. 15, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 11, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3 के] अधीन	1ग	
	घ @ 30% की दर से 115खखझ के अधीन प्रभार्य आय पर कर [क्रम सं. 16, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1 के] या [क्रम सं. 12, भाग ख- कुल आयके भाग ख 3]	1घ	
	ङ अधिकतम सीमांत दरों पर कर क्रम सं. 14, भाग ख- कुल आयके भाग ख 1	1ङ.	
	च कृषि आय पर छूट [भाग 2 में अनुप्रयुक्त यदि (10-11) भाग ख- कुल आयअधिकतम राशि कर प्रभार्य से अधिक नहीं है।]	1च	
	छ कुल आय पर कर संदाय (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ-1च)	1छ	
2	अधिभार		
	i अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन आय के स्तंभ (ii) का 25%	2i	
	ii पर (1छ -अनुसूची एसआई की "धारा 115खखड. के अधीन आय	2ii	
	iii कुल (i + ii)	2iii	
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1छ + 2iii)	3	
4	सकल कर दायित्व (1छ+2iii+3)	4	
5	कर राहत		

	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 2)	5क				
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 3)	5ख				
	ग	कुल (5क+5ख)		5ग			
6	कुल कर दायित्व (4-5ग)				6		
7	संदेय फीस और ब्याज						
	क	विवरणी प्रस्तुत करने के व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क				
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख				
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग				
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ				
	इ	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)			7इ.		
8	कुल दायित्व (6+7इ.)				8		
संदत्त कर	9	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	9क				
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (15ख के स्तंभ 9 से)	9ख				
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (15ग के स्तंभ 7i का कुल)	9ग				
	घ	स्वतः कर निर्धारण (15क के स्तंभ 5 से)	9घ				
	इ	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)			9इ		
10	संदेय रकम (यदि 9इ, 8 से अधिक है तो प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)				10		
11	प्रतिदाय (यदि 9इ, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)				11		
12	धारा 115नड. के अंतर्गत ब्याज सहित 115नघ आय पर संदेय कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)				12		
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले ऐसे अनिवासी जिनका भारत बैंक में खाता नहीं है नहीं चयन करेंगे)				हां अथवा नहीं का चयन करें	
		क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)					
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खातों का प्रकार (ई-फाइलिंग यूटीलिटी द्वारा दिए जाने वाला ड्रापडाउन)	प्रतिदाय जमा करने के लिए खाते का चयन करें (कम से कम एक खाते को <input checked="" type="checkbox"/> करें)
		i					
		ii					
		टिप्पणः					
		1. डारमेट खाते के सिवाय, किसी समय में भरे गए सभी खातों (बैंक) का रिपोर्ट किया जाना					
		2. विविध खातों के चयनित होने के मामले में रिटर्न के प्रसंस्करण के पश्चात् वैध खातों में से किसी एक खाते में प्रतिदाय जमा किया जाएगा					
		यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं					
		ख) अनिवासी, अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:					
	क्रं सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आई.बी.ए.एन		
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हितधारी स्वामी, हितधारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		

15 कर संदाय													
क अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण के संदायों के ब्यौरे													
कर संदाय	क्र.सं.	बी.एस.आर कोड			जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)			चालान की क्रम संख्या			रकम(रू.) में		
	(1)	(2)			(3)			(4)			(5)		
	i												
	ii												
	iii												
	iv												
	v												
vi													
टिप्पण ▶ भाग ख-टीडीआई की क्रम संख्या 9क और 9घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।													
ख आय पर/स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 क या प्रस्तुत प्ररूप 16ख/16ग/16घ/16ङके अनुसार]													
क्र.सं०	स्वयं/ अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति] से संबंधित जमा टीडीएस	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/ किराएदार/ क्रेता का पैन/ आधार	धारा जिसके अधीन टीडीएस की कटौती की गई है	अग्रणीत अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तुत की गई तदनुसूची रिसीट/ आहरण	अग्रणीत टीडीएस क्रेडिट				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4क)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
								आय टीडीएस		आय टीडीएस	पैन/ आधार		
i													
ग स्त्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा (संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार)													
क्र. सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति सं संबंधित जमा टी.सी.एस नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण अकाउंट नंबर	अन्य व्यक्ति का पैन(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत अदावाकृत टी.सी.एस	चालू वित्त वर्ष का टी.सी.एस(वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संग्रहित कर)	इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस	अग्रणीत टी.सी.एस जमा						
					वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम	स्वयं संग्रहित किया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा संग्रहित किया	स्वयं दावा किया गया	नियम 37-आई के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)			

								(यदि लागू हो)			
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)		(8)
i									टी.सी. एस	पैन	
ii											
टिप्पण ■ कृपया भाग ख-टीटीआई के 9 में स्तंभ (7)(i) का योग भरें											

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख		स्थान		यहां हस्ताक्षर करें।"